

सेवामें,

श्रीमान उप वन सरक्षक,
सीकर
राजस्थान।

विषय :- अनुपालना रिपोर्ट Diversion of 0.9737 ha. of forest land in favour in Missing Link Road, PWD Neem ka Thana Sikar for Widening of Existing road from Neem Ka Thana-Cheplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil-Neem Ka Thana District Sikar Rajasthan (Proposal no. FP/RJ/ROAD/145183/2021),

संदर्भ:-शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (30) वन/2022 दिनांक 08-04-2022 एवं आपके आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक F () FCA/DCF/ 2021-22/4516 दिनांक 21-04-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प. 1 (30) वन/2022 दिनांक:-08-04-2022 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या :-FP/RJ/ROAD/145183/2021


क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की

(ज.पी. पादव)

अधिशोधा अभियन्ता

सा. नि. वि. छण्ड नामकाथाना (सी.)

	मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ.आर.ए सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है, प्रतिलिपी संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि 106572/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 07.12.2022 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना संख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 932590/- रुपये दिनांक 07.12.2022 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।



(जे.पी. यादव)

अधिराशी अभियन्ता

नं. 1/2022/वि. व. अण्ड नाप्रकाशाना (सीकर)

	जमा की जाएगी।	
13.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
14.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय



(जे.पी.यादव)

अधिराशी अभियन्ता,

नीमकाथाना, सीकर।

अधिराशी अभियन्ता

सा. नि. वि. सुपुह बीपकाथाना (सीकर)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BA 087833

नीमकाथाना

शपथ-पत्र

Project Name: Diversion of 0.9737 ha. of forest land in favour in Missing Link Road, PWD Neem ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem Ka Thana-Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil-Neem Ka Thana, District- Sikar, Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/145183/2021

Applied Area: -0.9737

मैं जे.पी.यादव शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि-

1. यह है कि मिकर एवं भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना का अधिकृत अधिकारी/हस्ताक्षरकर्ता है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(जे.पी.यादव)

अधिशोधक अभियन्ता

सा. नि. वि. खण्ड नीमकाथाना (सिकर)

5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
10. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
11. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
13. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय



(जे.पी.यादव)

अधिसाधी (जे.पी.यादव)

नीमकाथाना सीकर अधिसाधी अभियन्ता

सा. मि. वि. साके नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/145183/2021

दिनांक:- 13-12-2022

Project Name: Diversion of 0.9737 ha. of forest land in favour in Missing Link Road, PWD Neem ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem Ka Thana-Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil-Neem Ka Thana, District- Sikar, Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/145183/2021

Applied Area: -0.9737

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (30) वन/2022 दिनांक 08-04-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(जे.पी.यादव)

अधिसहायी अभियन्ता,
(जे.पी.यादव) सीकर।

अधिसहायी अभियन्ता

सा. नि. वि. खण्ड नमकाशान

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/145183/2021

दिनांक:- 13-12-2022

Project Name: Diversion of 0.9737 ha. of forest land in favour in Missing Link Road, PWD Neem ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem Ka Thana-Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil-Neem Ka Thana, District- Sikar, Rajasthan


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/145183/2021

Applied Area: -0.9737

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (30) वन/2022 दिनांक 08-04-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय


(जे.पी.यादव)
अधीक्षक, वन विभाग,
नीमकाथाना अभिकरण,
राजस्थान सरकार

प. नि. वि. वन विभाग, नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/145183/2021

दिनांक:- 13-12-2022

Project Name: Diversion of 0.9737 ha. of forest land in favour in Missing Link Road, PWD Neem ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem Ka Thana-Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil-Neem Ka Thana, District- Sikar, Rajasthan


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/145183/2021

Applied Area: -0.9737

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (30) वन/2022 दिनांक 08-04-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(ज.पी.यादव)

अधिसाधी अभियन्ता,

नीमकाथाना सीकर।

(ज.पी.यादव)

अधिसाधी अभियन्ता

सा. नि. वि. छाण्ड नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/145183/2021

दिनांक:- 13-12-2022

Project Name: Diversion of 0.9737 ha. of forest land in favour in Missing Link Road, PWD Neem ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem Ka Thana-Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil-Neem Ka Thana, District- Sikar, Rajasthan


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/145183/2021

Applied Area: -0.9737

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (30) वन/2022 दिनांक 08-04-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(जे.पी.यादव)

अधिश्रापी अभियन्ता,

नीमकाथाना, सिकर।

अधिश्रापी अभियन्ता

सा. नि. वि. खण्ड नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/145183/2021

दिनांक:- 13-12-2022

Project Name: Diversion of 0.9737 ha. of forest land in favour in Missing Link Road, PWD Neem ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem Ka Thana-Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil-Neem Ka Thana, District- Sikar, Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/145183/2021

Applied Area: -0.9737

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (30) वन/2022 दिनांक 08-04-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय



(जि.पी.यादव)

अधीक्षक अभियन्ता,

शा. नि. नीमकाथानी, सिंकरना (सीकर)

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/145183/2021

दिनांक:- 13-12-2022

Project Name: Diversion of 0.9737 ha. of forest land in favour in Missing Link Road, PWD Neem ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem Ka Thana-Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil-Neem Ka Thana, District- Sikar, Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/145183/2021

Applied Area: -0.9737

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (30) वन/2022 दिनांक 08-04-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय


(ज. पी. यादव)
अधिसूत्री अभियन्ता
अधिशोषी अभियन्ता
ज. नि. वि. निकाथाना, सिकर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/145183/2021

दिनांक:- 13-12-2022

Project Name: Diversion of 0.9737 ha. of forest land in favour in Missing Link Road, PWD Neem ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem Ka Thana-Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil-Neem Ka Thana, District- Sikar, Rajasthan

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/145183/2021

Applied Area: -0.9737

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-9 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (30) वन/2022 दिनांक 08-04-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में यह है प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय



(जे. सी. सार्दा)
अधिसूत्री अभियन्ता,
सूचिकाधीन अभियन्ता,
सोमकाथाना, सीकर।
सा. नि. वि. दि. 13/12/2022

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/145183/2021

दिनांक:- 13-12-2022

Project Name: Diversion of 0.9737 ha. of forest land in favour in Missing Link Road, PWD Neem ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem Ka Thana-Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil-Neem Ka Thana, District- Sikar, Rajasthan


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/145183/2021

Applied Area: -0.9737

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (30) वन/2022 दिनांक 08-04-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में यह है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(जे.पी.यादव)

अधिशायी अभियन्ता,

नीमकाथना, (जे.पी.यादव)

अधिशायी अभियन्ता

सा. नि. वि. शा. नि. वि. शा. नि. वि. शा.

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/145183/2021

दिनांक:- 13-12-2022

Project Name: Diversion of 0.9737 ha. of forest land in favour in Missing Link Road, PWD Neem ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem Ka Thana-Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil-Neem Ka Thana, District- Sikar, Rajasthan


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/145183/2021

Applied Area: -0.9737

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (30) वन/2022 दिनांक 08-04-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(जे. पी. यादव)
अधिसापी अभियन्ता,
सिंधीवाडी, सिकर।

सा. नि. दि. सा. नि. दि. सा. नि. दि. सा. नि. दि. सा. नि. दि.

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/145183/2021

दिनांक:- 13-12-2022

Project Name: Diversion of 0.9737 ha. of forest land in favour in Missing Link Road, PWD Neem ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem Ka Thana-Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil-Neem Ka Thana, District- Sikar, Rajasthan


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/145183/2021

Applied Area: -0.9737

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (30) वन/2022 दिनांक 08-04-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (15) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय



(जे.पी.यादव)

अधिराधी अभियन्ता,
नीमकाथाना, सिकार।

अधिराधी अभियन्ता

सा. नि. वि. शा. नं. 145183/2021 (जी.पी.)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Rajasthan
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, SIKAR

Sr.No./ZPS/FRA/2022/ 1453

Dated:- 27.5.2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers '(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for Non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that in Village Guwar(Ganeshar), Khasra No. 1815, 2027, 2062, Village-Mokalwas, Khasra No. 659 & Village- Bujiwala(Deepawas) Khasra No. 1, 15 Area 0.9737 Hectares of forest land of forest block- Ganwari (Main) range Neem ka thana, Division Sikar proposed to be diverted in favour of Public Works Department, Neem ka thana, Sikar (User Agency) for Construction of Road (Proposed for Diversion of forest land) in Sikar District falls within jurisdiction of Guwar(Ganeshar), Mokalwas & Bujiwala(Deepawas) village in Neem Ka Thana Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire 0.9737 ha. of forest area proposed to be diverted in Village Guwar(Ganeshar), Mokalwas & Bujiwala(Deepawas) Khasra No. 1815, 2027, 2062, 659, 1, 15 Area 0.9737 Hectares of forest land of forest block- Ganwari (Main) proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of forest rights committee(s). Gram sabha (s), Sub-Division level committee(s) and the district level committee are enclosed annexure A to annexure B.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and Gram sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribes Groups and Pre- agricultural communities.

Encl : As above


Avichal Chaturvedi (IAS)
District Collector Sikar

Sr.No./ZPS/FRA/2022/ 1453

Dated :- 27.5.2022

Copy forwarded to:

1. PA to collector Sikar
2. CEO, Z.P. Sikar as Member Secretary for N.A.
3. DCF Sikar as Member for NA
4. Secretary, UITSikar
5. Santosh Kumar Member
6. Veena Verma Member
7. Mahendar Prasad Member
8. Office Copy


Avichal Chaturvedi (IAS)
District Collector Sikar

कार्यालय जिला कलक्टर सीकर

क्रमांक:- कल./जिपसी/वन/डाय./2022/145)

दिनांक 27.05.2022

एफ.आर.ए. की बैठक कार्यवाही विवरण

वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 27.05.2022 को दोपहर: 01.00 बजे श्री अविचल चतुर्वेदी, जिला कलक्टर, सीकर की अध्यक्षता में आयोजन किया गया जिसमें उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अभिशंषित निम्न पांच प्रकरण डायवर्जन हेतु जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये। जिसका अनुमोदन हेतु निम्न 5 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया।

क्र.स.	प्रकरण का नाम	क्षेत्रफल	संबंधित संस्था
1.	अधिशोषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Widening of existing road from Neemkathana to cheeplata Road (ODR-17) to deepawas Tehsil-Neemkathana, district-sikar स्वीकृत सड़क नीमकाथाना चीपलाटा रोड (ODR-17) से दीपावास का सड़क चौड़ाई करने हेतु कार्य	0.9737 हेक्टेयर	अधिशोषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
2.	Proposed For laying optical fiber cable along With Right Side Road Hasampur to kalakheda in village Kalakheda and Dungan Faganwas, forest block Gadrata P.F., Tehsil - Neem Ka Thana District - Sikar "जिसका जनरल प्रबंधक, जीयो डिजिटल फाईबर प्रा. लिमिटेड, प्रथम तल आनन्द भवन संसार चन्द्र रोड जयपुर के द्वारा फाईबर केबल डाले कार्य	0.15 हेक्टेयर	जनरल प्रबंधक, जीयो डिजिटल फाईबर प्रा. लि. प्रथम तल आनन्द भवन संसार चन्द्र रोड जयपुर
3.	"Construction of Approach Road" ACCESS For Proposed Hindusthan Petroleum Corporation limited Retail outlet on Jaipur to Siakr Road NH-52 (old NH-11) LHSOON KHASRA NO-1099/1096 stonechainage NO ,337/744 TO 337/779 AT vilage - Bajor, Tehsil- Sikar, District- Sikar (Rajasthan)" जिसका प्रादेशिक प्रबंधक हिन्दूस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्माण कार्य	0.0312 हेक्टेयर	प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) हिन्दूस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर
4.	Construction of Approach Road" ACCESS For Proposed Bharat Petroleum Corporation limited Retail outlet on Ringus to palsana Road NH-52 (old NH-11,RHS) At km stonechainage NO ,302+144.50 to 302+179.50 on old Khasra No-1302/2 & new khasrs No 1657/1651, at vilage - Bavori, Tehsil- Khandela, District- Sikar (Rajasthan)	0.2431 हेक्टेयर	प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर
5.	Proposed Forest Land For "Laying jointing Testing & commissioning of 12250KM DIA /HDPE pipe line construction of commissioning of 200 MM DIA. TUBE WELL RCC CLEAR WATER RESERVOIR PUMU HOUSE WITH ALLIED CIVIL" VILLAGE MOKALWAS & VILLAGE AGARI Tehsil-Neemkathana district-sikar जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना	0.1862 हेक्टेयर	अधिशोषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे :-

1. श्री अविचल चतुर्वेदी, जिला कलक्टर, सीकर।
2. श्री सुरेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।
3. श्री भीमाराम चौधरी, उप वन संरक्षक, सीकर।
4. श्रीमती वीना वर्मा, (SC) जिला परिषद सदस्य, मु० खैरवा की ढाणी पो० झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5. श्री महेन्द्र प्रसाद, (SC) जिला परिषद सदस्य, मु०पो० आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

(1.) अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Widening of existing road from Neemkathana to cheeplata Road (ODR-17) to deepawas Tehsil-Neemkathana, district-sikar स्वीकृत सड़क नीमकाथाना चीपलाटा रोड़ (ODR-17) से दीपावास का सड़क चौड़ाई करने हेतु वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम गुवार पटवार हल्का गणेश्वर के खसरा नं. 1815,2027, व 2062 रकबा 0.1000,9.3500,19.2800 ग्राम मोकलवास पटवार हल्का मोकलवास खसरा नं. 659 रकबा 77.8600 ग्राम बुजीवाला पटवार हल्का दीपावास के खसरा नं. 01 व 15 के रकबा 6.8000,7.2700 हे० में से 0.9737 हेक्टेयर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/145183/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.9737 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व हित प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने हेतु ग्राम पंचायत संबंधित की ग्राम सभा के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र व बैठक कार्यवाही अविलम्ब भिजवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व विकास अधिकारी पं.स. अजीतगढ को पत्र लिखा गया था। अतः उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की उपखण्ड स्तरीय कमेटी बैठक की कार्यवाही व विकास अधिकारी अजीतगढ से ग्राम सभा की कार्यवाही प्राप्त हुई है। प्राप्त कार्यवाही के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन से ऐसे किसी प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते है।

(2.) जनरल प्रबंधक, जीयो डिजीटल फाईबर प्रा. लि. प्रथम तल आनन्द भवन संसार चन्द्र रोड जयपुर के द्वारा Proposed For laying optical fiber cable along With Right Side Road Hasampur to kalakheda in village Kalakheda and Dungan Faganwas, forest block Gadrata P.F., Tehsil - Neem Ka Thana District - Sikar "जिसका जनरल प्रबंधक, जीयो डिजीटल फाईबर प्रा. लिमिटेड, प्रथम तल आनन्द भवन संसार चन्द्र रोड जयपुर के द्वारा फाईबर केबिल डाला जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित जीयो फाईबर केबिल डालने हेतु सड़क के दाईं तरफ आने वाली वन क्षेत्र की भूमि जीयो फाईबर केबिल डालने के कार्य में आ रही जो की ग्राम डुंगर फागनवास के राजस्व ग्राम डुंगर फागनवास की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 265,268,272,170,159,160,157,158,129,31 कुल रकबा 87.2 में से 0.1080 है० एवं ग्राम काला खेडा के राजस्व ग्राम काला खेडा की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 559,560,569,566 कुल रकबा 43.66 में से 0.0420 है० कुल 0.15 है० तहसील नीमकाथाना व जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/45403/2020 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध में डायवर्जन वन भूमि 0.15 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन हेतु पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत संबंधित की ग्राम सभा के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र व बैठक कार्यवाही अविलम्ब भिजवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व विकास अधिकारी पं.स. पाटन व विकास अधिकारी पं.स.अजीतगढ को पत्र लिखा गया था। अतः उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की उपखण्ड स्तरीय कमेटी बैठक की कार्यवाही विकास अधिकारी पं.स. पाटन व विकास अधिकारी अजीतगढ से ग्राम सभा की कार्यवाही प्राप्त हुई है। प्राप्त कार्यवाही के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन से ऐसे किसी प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते है।

(3.) प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) हिन्दूस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर के द्वारा "Construction of Approach Road" ACCESS For Proposed Hindusthan Petroleum Corporation limited Retail outlet on Jaipur to Siakr Road NH-52 (old NH-11) LHSOON KHASRA NO-1099/1096 stonechainage NO ,337/744 TO 337/779 AT vilage - Bajor, Tehsil- Sikar, District- Sikar (Rajasthan)" जिसका प्रादेशिक प्रबंधक हिन्दूस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प व सड़क के मध्य आने वाली वन क्षेत्र की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम बाजोर के राजस्व ग्राम बाजोर की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 1006/532 व 528 कुल रकबा 0.1575 में से 0.0312 है० वन भूमि के राजस्व ग्राम बाजोर तहसील सीकर व जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Approach/147757/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.9450 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई है। वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होने का उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक का अदेय प्रमाण पत्र, एवं बैठक कार्यवाही की प्रति उपखण्ड अधिकारी सीकर की बैठक कार्यवाही व ग्राम पंचायत बाजोर ग्राम सभा की बैठक कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त कार्यवाही के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन से ऐसे किसी प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते है।

(4.) प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर के द्वारा "Construction of Approach Road" ACCESS For Proposed Bharat Petroleum Corporation limited Retail outlet on Ringus to palsana Road NH-52 (old NH-11,RHS) At km stonechainage NO ,302+144.50 to 302+179.50 on old Khasra No-1302/2 & new khasra No 1657/1651, at vilage - Bavori, Tehsil- Khandela, District- Sikar (Rajasthan)" जिसका प्रादेशिक प्रबंधक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प व सड़क के मध्य आने वाली वन क्षेत्र की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम बावडी के राजस्व ग्राम बावडी की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 1299 कुल रकबा 5.1600 में से 0.2431 है० वन भूमि के राजस्व ग्राम बावडी तहसील खण्डेला व जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Approach/147202/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.2431 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली हेतु प्राप्त हुई थी के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी

की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं है। एवं वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र वनाधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु उपखण्ड स्तरीय कमेटी के द्वारा अनुमोदन कर अदेय प्रमाण पत्र व बैठक कार्यवाही अविलम्ब भिजवाने हेतु लिखा गया था। अतः उपखण्ड अधिकारी खण्डेला की उपखण्ड स्तरीय कमेटी बैठक की कार्यवाही विकास अधिकारी पं.स. खण्डेला से ग्राम सभा की कार्यवाही प्राप्त हुई हैं। प्राप्त कार्यवाही के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन से ऐसे किसी प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(5) अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Proposed Forest Land For "Laying jointing Testing & commissioning of 12250KM DIA /HDPE pipe line construction of commissioning of 200 MM DIA. TUBE WELL RCC CLEAR WATER RESERVOIR PUMU HOUSE WITH ALLIED CIVIL" VILLAGE MOKALWAS & VILLAGE AGARI Tehsil-Neemkathana district-sikar स्वीकृत जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना के तहत 200 एमएम डायामिटर निर्माण कार्य पम्प हाउस, सीडब्ल्यूआर एवं डी.आई.एचडीपीई पाईप को बिछाने एवं जोड़ने का कार्य हेतु ग्राम आगरी व मोकलवास में पेयजल हेतु वन क्षेत्र में आने वाली भूमि पाईप लाईन निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम मोकलवास के खसरा नं. 573 रकबा 1.1700 हैं0 ग्राम आगरी के खसरा नं. 3416 रकबा 18.6500 हैं0 व 3421 रकबा 32.5300 में से 0.1862 हैं0 तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/120533/2021 द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.1862 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व हित प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने हेतु ग्राम पंचायत संबंधित की ग्राम सभा के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र व बैठक कार्यवाही अविलम्ब भिजवाये हेतु लिखा गया था। अतः उपखण्ड अधिकारी खण्डेला की उपखण्ड स्तरीय कमेटी बैठक की कार्यवाही विकास अधिकारी पं.स. खण्डेला से ग्राम सभा की कार्यवाही प्राप्त हुई हैं। प्राप्त कार्यवाही के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन से ऐसे किसी प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

उक्त प्रस्तावों में उल्लेखित भूमि में वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिकारों से संबंधित कोई दावा लम्बित नहीं होने तथा ऐसे किसी कृषक के हित प्रभावित नहीं होते हैं और ना ही कोई प्रकरण प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में भूमि प्रत्यावर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाता है।

(महेन्द्र प्रसाद)

जिला परिषद सदस्य
जिला परिषद, सीकर

(वीना वर्मा)

जिला परिषद सदस्य
जिला परिषद, सीकर

(भीमराम चौधरी)

उप वन संरक्षक
सीकर

(पुरेश कुमार)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, सीकर

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलक्टर
सीकर

4-वर्ग 2 Namyu
Jany
4/3/2022
Nimkha

Kew
नीमकाथाना - नीमकाथाना - रो

21/1/22

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांक 169 / राजस्व / 2022 /

दिनांक:- 28/2/2022

श्रीमान अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, सीकर।

विषय:- वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रमाण पत्र।

प्रसंग:- आपका पत्रांक जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2021/1208-1210

दिनांक 09.02.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिनांक 25.02.2022 को उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया जाकर बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रस्ताव में वन भूमि में ऐसी कोई आदिम जन जाति का कोई समूह या परिवार निवास नहीं करता है। ऐसी जन जातियों या समूहों का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। न ही कोई दावा प्रस्तावित या लम्बित है। प्रस्तावित वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समूहों के हित प्रभावित नहीं होते हैं। अतः वन भूमि प्रत्यावर्तन में इस अधिनियम की कोई धारा प्रभावित नहीं होती है। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति एवं प्रमाण पत्र सलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार

(कुल 02 प्रकनण)

क्रमांक / राजस्व / 2022 /

प्रतिलिपि:- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।








दिनांक:-

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)


वन अधिकार अधिनियम 2006 मिटींग दिनांक 25.02.2022 की कार्यवाही:-

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति उपखण्ड नीमकाथाना की बैठक उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की अध्यक्षता में दिनांक 25.02.2022 को आयोजित की गई जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार रही:-

क्र. सं.	नाम/पद नाम	उपस्थिति
1.	श्री बृजेश कुमार उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	
2.	श्री सत्यवीर सिंह तहसीलदार, नीमकाथाना	
3.	श्री रामगोपाल पारीक अति. विकास अधिकारी प0स0 नीमकाथाना	
4.	श्री राकेश कुमार अति.विकास अधिकारी प0स0 अजीतगढ	
4.	श्री श्रवण लाल जाट क्षेत्रिय वन अधिकारी, नीमकाथाना	
5.	श्री बाबूलाल मीणा प.स. सदस्य नीमकाथाना	
6.	श्री हरनन्दा मीणा प.स. सदस्य अजीतगढ	

बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006 में वर्णित उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने वाले कार्यो पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया।

इस बैठक में प्रकरण वन भूमि में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत सड़क नीमकाथाना-चीपलाटा रोड़ (ODR-17) से दीपावास की सड़क चौड़ाई करने हेतु वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम गुवार पटवार हल्का गणेश्वर के खसरा नम्बर 1815, 2027, 2062 रकबा 0.10, 9.35, 19.28 है. ग्राम मोकलवास पटवार हल्का मोकलवास खसरा नम्बर 659 रकबा 77.86 है. ग्राम बुजीवाला पटवार हल्का दीपावास के खसरा नम्बर 01, 15 रकबा 6.80, 7.27 है. में से 0.9737 है. के सम्बंध में वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव में वन भूमि में ऐसी कोई आदिम जन जाति का कोई समूह या परिवार निवास नहीं करता है। ऐसी जन जातियों या समूहों का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। न ही कोई दावा प्रस्तावित या लम्बित है। प्रस्तावित वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समूहों के हित प्रभावित नहीं होते है। अतः वन भूमि प्रत्यावर्तन में इस अधिनियम की कोई धारा प्रभावित नहीं होती है। सधन्यवाद मिटींग की कार्यवाही समाप्त की गई।


(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

कमांक/ राजस्व/2022/ 167

दिनांक:- 25/7/2022

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,सीकर।
2. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यवाही अधिकारी जि.प. सीकर।
3. वन संरक्षक (डी.एफ.ओ.) सीकर।
4. तहसीलदार, नीमकाथाना।
5. विकास अधिकारी, प0स0 नीमकाथाना/पाटन।
6. क्षेत्रिय वन अधिकारी, नीमकाथाना
7. सम्बंधित सदस्य श्री.....

(बृजेश्वर उदुमिकोरी)
उपखण्डकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)

ग्राम सभा

आज दिनांक 12-10-2021 को ग्राम पंचायत मोकलवाह की ग्राम सभा सरपंच की गजानन्द दोरारा की अध्यक्षता में की गई गिनने गिनत उपस्थित रही व

नाम	हस्ताक्षर
1. श्री गजानन्द दोरारा सरपंच	गजानन्द
2. ... कोहराम भीगा पं.सहायक	lowr
3. ... प्रशोक सिंह पं.सहायक	shuk
4. विनाय कुमार मजदूर-शिक्ष	
5. सुनील मल भीगा	sunil mal
6. जेठोनी भीगा	prema
7. धोलाराम भीगा	धोलाराम
8. चितामणी	चिन्तामणि
9. गोपाल चन्द	गोपाल सिंह
10. राज कुमार भीगा	राज
11. दिनेश कुमार	दिनेश कुमार
12. राम मल	राम मल
13. रामराम चन्द	रामराम
14. विनाय कुमार	विनाय
15. शिखरदत्त भीगा	शिखरदत्त भीगा
16. कृष्ण कुमार वर्मा	कृष्ण कुमार
17. धारजीराम भीगा	धारजीराम
18. विमला देवी	विमला
19. गुलाक देवी	गुलाक

नाम

एन-1392

21. शंकर लाल शर्मा

शंकर

22. सुरेश सिंह

सुरेश

23. श्री देवराज शर्मा

श्री देवराज

24. महादीन सिंह

महादीन सिंह

25

श्री देवराज

26

श्री देवराज

27. हजारी लाल शर्मा

हजारी लाल

श्री देवराज

28. किशोरी लाल शर्मा

किशोरी लाल शर्मा

श्री देवराज

29. गंगाराम शर्मा

30. रामावत शर्मा

(गंगाराम)

31. गंगाराम लाल

गंगाराम लाल

32. रामेश्वर सिंह

रामेश्वर सिंह

33. रामेश्वर सिंह

रामेश्वर सिंह

34. सुभाष शर्मा

सुभाष

कार्यालय पंचायत समिति अजीतगढ जिला - सीकर (राज.)

क्रमांक:- पंसअजी/पंचायत/2022-23/174

दिनांक:-13/4/2022

श्रीमान अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद सीकर


विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए. के संबंध में ग्राम पंचायत मोकलवास व दीपावास की ग्राम सभा की कार्यवाही रिपोर्ट अदेय प्रमाण भिजवाने के संबंध में।

प्रसंग:- आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक: 1147 दिनांक 19.01.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए. के संबंध में ग्राम पंचायत मोकलवास व दीपावास की ग्राम सभा की कार्यवाही रिपोर्ट व अदेय प्रमाण पत्र आपकी सेवामें आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार


विकास अधिकारी
पंचायत समिति अजीतगढ

कार्यालय ग्राम पंचायत दीपावास

पंचायत समिति-अजीतगढ़, जिला-सीकर (राज.)

प्रेषक:-

मीरा देवी (सरपंच)

ग्राम पंचायत-दीपावास, पंचायत समिति-अजीतगढ़
मों. 9950438870

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय,
पं.सं. अजीतगढ़

क्रमांक:- SPL-I

दिनांक 25.01.2022

विषय:- पं.सं. अजीतगढ़ के आदेश क्रमांक 34 दिनांक 23.01.2022
की अनुपालना में वन भूमि का अवेग प्रमाण पत्र।

प्रस्ताव सं. 04 - ग्रामसभा में बताया गया कि नीमकाधाना से-नीपलगा
रोड का चौड़ाईकरण का कार्य किया जाना है अतः ग्राम दीपावास
में वन क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम दीपावास के सभ निवासियों
आ रही है वन विभाग की भूमि ग्राम दीपावास के सभ सं. 04
व 15 में रकबा 6.8000, 7.2700 हेक्टर में से 0.3737 हेक्टर है
इस पर ग्रामसभा में चर्चा की गई तत्पश्चात् निर्णय लिया
गया कि इस वन भूमि में कोई भी अकृषि गन्तव्य है व अन्य
परम्परागत कोई भी वन निवासी दावा लंबित नहीं है नार्हे
इनका कोई हित प्रभावित हो रहा है अतः अवेग प्रमाण जारी किया
जाता है।

नोट:- दिनांक 12.10.2021 के प्रस्ताव सं. 4 में इस
अनुमोदन किया गया।

M
सरपंच
ग्राम पंचायत दीपावास
पं. सं. अजीतगढ़

कार्यालय ग्राम पंचायत, मोकलवास पं.स. अजीतगढ़

जिला-सीकर (राजस्थान)

पंचायत सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत, मोकलवास मो. 8769254241, 9887672848	दिनांक 25-1-2022	प्रेषित विकास अधिकारी पं.स. अजीतगढ़
--	---------------------	---

25-1-2022

विषय :- पं.स. अजीतगढ़ के आदेश क्रमांक 34 दिनांक 23-1-22
 की अनुपालना में वन श्रमि का आदेश प्रमाण पत्र
 प्रस्ताव सं 3 :- ग्राम सभा में बताया कि नीयतवावा के
 पीपलाश रोड का वर्कर्स का काम किया जाना है।
 अतः ग्राम मोकलवास के वन क्षेत्र में आने वाली
 श्रमि सड़क निर्माण में आ रही है। वन विभाग
 की श्रमि ग्राम मोकलवास के दरसरा नं. 659 रुकबा
 77.8600 है। इस पर ग्राम सभा में चर्चा की गई।
 तत्पश्चात निर्णय किया कि इस वन श्रमि में
 कोई भी कच्चा सूचित्र नग जाहि आं - क्लिक
 पर परराजत वन-बिवासी का कोई काम पवित्र
 नहीं है। वा ही इन्का कोई हित प्रभावित हो
 रहा है अतः आदेश प्रमाण पत्र जारी किया गया।
 मोट :- दिनांक 12-10-2021 के प्रस्ताव सं 3 के अंतर्गत
 अनुमोदन किया गया।

दिनांक - 25-1-2022
 सरपंच
 ग्राम पंचायत मोकलवास
 पं. स. अजीतगढ़ (सीकर)

कार्यालय ग्राम पंचायत, मोकलवास पं.स. अजीतगढ

जिला-सीकर (राजस्थान)

प्रेषक-	सरपंच ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत, मोकलवास मो. 8769254241, 9887672848	दिनांक	विकलाबाड़ी
		संख्या	पं.स. अजीतगढ

दिनांक
25-1-2023

विषय :- पं.स. अजीतगढ के आदेश नं. 24 दिनांक 23.1.22 की अनुपालना में वन शुद्धि का आदेश पत्रिका पर तात सं. 2.

ग्राम राजा में टाटाफ दि. नीयकाशाना के वीपलायत रोड का लैंड है। जो कार्य प्रिय नाम है। जिस ग्राम मोकलवास के वन क्षेत्र में आया नहीं। शक्ति सड़क निर्माण में आ रही है। वन विभाग की शक्ति ग्राम मोकलवास के अनुसार नं. 65924.वा. 71.8600 है। इस पर ग्राम राजा में वन की वही। नए पश्चात निर्माण किपा कि आ वन शुद्धि में कोई भी कुछ सुनिश्चित नहीं है। कि म पर परावर वन विभाग का कोई वन विभाग नहीं है। वही वन का कोई वन विभाग नहीं है। शक्ति सड़क निर्माण पर वन विभाग में - दिनांक 12-10-2022 के आदेश नं. 6(2) के अंतर्गत अनुमोदन किया गया।

ग्राम पंचायत मोकलवास
पं. स. अजीतगढ (सीकर)

स्थान: - भारत मिमि, राजीव गांधी जेवा केंद्र - मोकलवाह
मोकलवाह ग्राम सभा कार्यवाही दिनांक 12-10-21

प्रस्ताव सं. 3

ग्राम सभा में बताया गया कि नीमकापाना से जीपलारा रोड का चौड़ाई का कार्य किया जाना है। अतः ग्राम मोकलवाह के वन क्षेत्र में काने वाली भूमि सड़क निर्माण में आ रही है। वन विभाग की भूमि ग्राम मोकलवाह के खसरा नं. 659 रकबा 17.8600 है। इस पर ग्राम सभा में चर्चा की गई। वन पंचायत निर्माण किया कि इस वन भूमि में कोई भी अनुरूपित वन गति और प्रभु परंपरागत वन निवासी का कोई दावा अविद्यत नहीं है। ना ही इसका कोई हित प्रभावित हो रहा है। अतः अडेन उपाय पत्र दे दिया जावे। प्रस्ताव का अनुमोदन स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं. 4

ग्राम सभा में बताया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो भी एंड पम्प खराब पड़े हुए हैं उनसे सूची बनाकर प्रभारी अधिकारी को दी जावे। ताकि उनको जल्दी ही जल्दी ठीक करवाया जा सके। वन वार्डियों में पानी के लिए ग्राम वार्डियों में परेशानी ना उठानी पड़े। इसके साथ ही ग्राम पंचायत, मोकलवाह और वीडी के लिए (एंड वलगा) एंड 5000 पम्प निर्माण की लागत की कार्यवाही की जावे। ताकि समस्त पर एंड 5000 पम्प की ही क किया जा सके। वार्डों में एंड 5000 पम्प निर्माण करके वन वार्डों में वन एंड 5000 पम्प पर रहने से प्रस्ताव का अनुमोदन सर्वसाधारण के लिए।

स्थान: - भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केंद्र - मोकलवाह

मोकलवाह ग्राम सभा कार्यवाही दिनांक 12-10-21

प्रस्ताव सं. 3

ग्राम सभा में बताया गया कि नीमकापाना से नीपलाहा रोड का चौड़ाई का काम किया जाना है अतः ग्राम मोकलवाह के एक क्षेत्र में पाने वाली भूमि सड़क निर्माण में आ रही है। एक विभाग की भूमि ग्राम मोकलवाह के खसरा नं. 659 रुकवा 77.8600 है। इस पर ग्राम सभा में चर्चा की गई। तब पश्चात निर्णय लिया कि इस वग भूमि में कोई भी अनुसूचित जन जाति और भेद परम्परागत जन जाति का कोई दावा लम्बित नहीं है। ना ही इसका कोई हित प्रभावित हो रहा है। अतः अंदेश उत्पान पर दे दिया जाये। प्रस्ताव का अनुमोदन स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं. 4


ग्राम सभा में बताया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो भी हैंड पम्प खराब पड़े हुए हैं उनकी सूची बनवाई जाये। अधिकारी को दी जाये। ताकि उनको जल्दी ही जल्दी ठीक करवाया जा सके। सूखे गमिष्ठों में पानी के लिए ग्राम जाहियां में पेशानी ना रुकानी पड़े। इसके साथ ही ग्राम पंचायत, मोकलवाह और लोक के लिए एक कुएँ हैंडपंप निर्माण की जायेंगी की सुपवाही की जाये। ताकि समस्त पर हैंडपंपों की ठीक किया जा सके। क्योंकि हैंडपंप निर्माण की है। इससे काफी दिनांक तक हैंडपंप खराब पड़े रहने से प्रस्ताव का अनुमोदन स्वीकार किया गया।


Annexure-3


दिनांक 25.02.2022 को आयोजित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति नीमकाथाना की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के तहत आदिम जन जाति/प्रारम्भिक कृषक के अधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है।

क. सं.	ग्राम	ख.न.	ग्राम पंचायत	प्रत्यावर्तन के लिए वंचित भूमि
1.	गुवार	1815, 2027, 2062	आगरी	ख0न0 1815 रकबा 0.10 है., ख0न0 2027 रकबा 9.35 है. ख.न. 2062 रकबा 19.28 है. में से
2.	मोकलवास	659	मोकलवास	ख0न0 659 रकबा 77.86 है. में से
3	बुजीवाला	01, 15	दीपावास	ख0न0 01 रकबा 6.80 है. ख0न0 7.27 है.में से

सम्पूर्ण रकबे में से 0.9737 है. भूमि।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
नीमकाथाना



तहसीलदार,
नीमकाथाना


(बजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

कुंदरी

217 १२०

१५००

217 163: 

सिंदूर फंस

२५५५५





२५५५५

सिंदूर फंस

२५५५५

T.V. No
81011
07/12/22

Reference No -42849742

Government Of Rajasthan WAM Inner/outer sheet																				
Department Code : 65						Month/Year : Nov/2022														
Department Name : Public Works Department																				
Detailed Wam bill of : EX.EN.PWD NEEMKATHANA(12325)						OfficeID : 12325														
Bill For Works Payment : WAM Payment		Reference No : 3463135		Wam Reference No : #1/1 of 574854																
Division Name : XEN PWD DIV NKT		Division Code : 103		Bill No : 42849742																
Date : 24/11/2022		Demand No : 21		DDOCode : 12325																
TAN : JPRE01510F		Object Head : 21		Budget Head : 3054-04-800-02-01/SF/V																
SF : 1039162.00 NonPlan : 0.00		NA : 0.00		ContingencyHead :																
To, The Treasury/Sub Treasury Officer,NEEM-KA-THANA Please Order to pay ₹ 1039162 as per the claim contained in this bill																				
		Sign of Clerk		Sign of DA		Sign of Divisional Officer														
I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of online allotted budget/LC.																				
I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.																				
				 Digitally signed by JAGDISH PRASAD YADAV Date: 2022.11.24 16:06:04 +05:30 Reason: JAGDISH PRASAD YADAV Location: /Digital ESign of DDO 9799298171																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr.No.</th> <th>Name Address Mobile</th> <th>Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name</th> <th>Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)</th> <th>Gross Amt Net Amt</th> <th>WAMID</th> <th>Budget Head Deduction Amt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rajasthan Campa S Rajasthan Campa Distt Sikar 9799298171</td> <td>UNION BANK OF INDIA 1508561145183718 UBIN0996335 FCS BANGALORE</td> <td>0 1/11/1900 12:00:00 AM</td> <td>1039162.00 1039162.00</td> <td>3463135</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt	1	Rajasthan Campa S Rajasthan Campa Distt Sikar 9799298171	UNION BANK OF INDIA 1508561145183718 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/11/1900 12:00:00 AM	1039162.00 1039162.00	3463135	
Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt														
1	Rajasthan Campa S Rajasthan Campa Distt Sikar 9799298171	UNION BANK OF INDIA 1508561145183718 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/11/1900 12:00:00 AM	1039162.00 1039162.00	3463135															
Gross Amount Rs. 1039162.00			B.T.Amount: Rs.		Net Amount:Rs. 1039162.00															
Amount in Words : TEN LAKH THIRTY NINE THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY TWO Only																				
				 Sign Of DDO with Digitally signed by JAGDISH PRASAD YADAV Date: 2022.11.24 16:06:18 +05:30 Reason: JAGDISH PRASAD YADAV Location: /Digital ESign of DDO																
For Accountant General Office				Treasury Voucher																
Admitted ₹		No:		Date :																
Objected ₹		Pay ₹ : 1039162.00																		
		(In Words) : TEN LAKH THIRTY NINE THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY TWO ONLY																		
		B.T. Heads :																		
		Total :																		
		(In Cash) ₹ : 1039162.00																		
		(In Words) : TEN LAKH THIRTY NINE THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY TWO ONLY																		
Auditor	Supdt	Gaz. Officer	Auditor	AAO-I/II	Treasury/Sub Treasury Officer ESign															

Disclaimer : All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it.
SAW Courtesy National informatics centre, Rajasthan State Unit (<http://paymanager.raj.nic.in>) Group Name:3054 VR OH 21

Forward Time:
Print Date & Time:24/11/2022 04:04 PM

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Form RPWA 28

Public Works Department, Jaipur

9742

Bill No. & Date:

PayManager Ref. Id(s): 3463135

BillRef No.: 1543, Dated: 23/11/2022

Division Name: EX.EN.PWD NEEMKATHANA

Division Code: 12325

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: 3054 Rural Roads (V.R.) Ordinary Repair.

Vendor Name: Rajasthan Campa S

Sanction/Autorization/BillNo: 1 Dated: 23/11/2022

Reason: N/a

Bank AccountNo.- 1508561145183718

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 10,39,162

(In Words): Rupees Ten Lakh Thirty Nine Thousand One Hundreds Sixty Two Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	3054-04-800-02-01-21-V-P	1039162	WorkId: 113531

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3463135	3054-04-800-02-01-21-V-P		1039162	WorkId: 113531
	Payment Through Treasury	1039162		


Net Amount Payable In Figures: 10,39,162


Net Amount Payable In Words: Rupees Ten Lakh Thirty Nine Thousand One Hundreds Sixty Two Only

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:


खण्डीय लेखाधिकारी
सा. नि. वि. खण्ड-नीमकाथाना


अभिमान अभियन्ता
सा नि वि खण्ड नीमकाथाना
का. नि. वि. खण्ड-नीमकाथाना
Eg use in P2025
Regional Office

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

See Chap. XIV, paras 440, 446 and 460

PUBLIC WORKS DEPARTMENT BUILDING & ROADS BRANCH

HAND RECEIPT Rajasthan Campa

Cash Book Voucher No.

Passed for Rs 1039162/-
(Ten Lacs Thirty Nine Thousand one hundred
Sixty Two only)

(1) Pay

(2) Paid by me P.D. +

सा नि. वि. खण्ड नीमकाथा
कोड नं 12325

Received from Executive Engineer PWD Dn. Neemkathau The sum of
1039162=00 (Ten Lacs Thirty Nine Thousand one hundred Sixty Two)

Name of work for which payment is made Neemkathau - Cheepata Road (ODR-17)
to Deepawa village Chargeable to 3054 VR/ODR

Of ay bill Voucher No.

Proposal No. FP/RJ/ROAD/145183/2021

Diversion of 0.9737 Ha. of forest land Payment Approval
given by S.G PWD SIKAR vide letter No. 3175 Dated 01/11/22

Witness

Signature of Payee

The officer authorizing payment should initial and date the order after scoring out work "cheque" or cash as the case may be (1)

The person actually making the payment should initial and date payment certificate (2)

In the case of works, the accounts of which are kept by sub-heads. The amount chargeable to each sub-head should be specified by the disbursing officer.

Payment should be attested by some known person when the payee's acknowledgement is given by mark, seal or thumb impression.

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-11-2022

Agency Name.	MISSING LINK ROAD ,PWD NEEM KA THANA ,SIKAR
Application No.	61145183718
MoEF/SG File No.	1(25)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address.	Executive office ,Dn.-Neem ka thana Dist-SikarSikar
Amount(in Rs)	1039162/-

Amount in Words :Ten Lakh Thirty-Nine Thousand One
Hundred and Sixty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508561145183718 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-11-2022

Agency Name.	MISSING LINK ROAD ,PWD NEEM KA THANA ,SIKAR
Application No.	61145183718
MoEF/SG File No.	1(25)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address:	Executive office ,Dn.-Neem ka thana Dist-Sikar Sikar
Amount(in Rs)	1039162/-

Amount in Words :Ten Lakh Thirty-Nine Thousand One
Hundred and Sixty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508561145183718 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank,
ubin0903710@unionbankofindia.bank